[श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत]

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को सहर्ष और सगर्व सूचित करना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो 'जल-जीवन मिशन' का संकल्प लिया है, उसके साथ-साथ घरों से जो greywater निकलता है, उसकी treatment facility को essential components के रूप में गांवों में बनाया जा सके, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। Fifteenth Finance Commission ने भी अपनी पांच साल की योजना में इसके लिए प्रावधान किया है। इस साल के बजट में भी 30,000 करोड़ रुपया sewage और स्वच्छता को लेकर सुनिश्चित किया गया है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): प्रश्न संख्या 227.

Challans for traffic rules violation

*227. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that common people are being stopped without committing any traffic violations and being challaned on one pretext or the other and also the poor people can't afford to pay such hefty challans, which is leading to corrupt practices; and

(b) if so, whether any steps have been taken to stop such incidents?

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI NITIN JAIRAM GADKARI): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Some incidents have come to notice where the citizens faced inconvenience and harassment when being asked to produce certificates of registration, insurance, fitness and permit, the driving licence and any other relevant documents on demand by any police officer in uniform or any other authorised by the State Government. The Parliament has recently passed the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019. For ensuring greater compliance and checking irregularities/corruption and for providing facilitation and convenience to citizens the new provisions have been added such as "electronic monitoring and enforcement of road safety" which provides for usage of speed cameras, closed-circuit television cameras, speed guns, body wearable cameras and such other technology for enforcement.

The Section 200 of the Motor vehicles Act, 1988 after the Motor Vehicles

(Amendment) Act, 2019, as recently passed by the Parliament, reads - "200 Composition of certain offences - (1) Any offence whether committed before or after the commencement of this Act punishable under section 177, section 178, section 179, section 180, section 181, section 182, sub-section (1) or sub-section (3) or sub-section (4) of section 182A, section 182B, sub-section (1) or sub-section (2) of section 183, section 184 only to the extent of use of handheld communication devices, section 186, section 189, sub-section (2) of section 190, section 192, section 192A, section 194, section 194A, section 194B, section 194C, section 194D, section 194E, section 194F, section 196, section 198, may either before or after the institution of the prosecution, be compounded by such officers or authorities and for such amount as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf."

SHRI B. K. HARIPRASAD: Madam Vice-Chairman, after amendment of the Motor Vehicles Act last year, 93 Sections were amended. Out of which only 63 Sections are in force. I am glad that the Minister has accepted, the Government has accepted for the first time, that there are some inconveniences for the public due to wrong challans and harassment for the public in the transport sector. Gadkariji is one of the few competent Ministers in the Government. I don't know whether he is misled or misinformed. According to the Reports, in 2017-18, the Total number of challans was 7,89,926; in 2018-19, it was 73,88,000-and-odd challans; in 2019-20, till January, the Total number of challans in the public domain is 1,62,60,130. Naturally after the amendment of the Motor vehicles Act, the challans have been issued. I just wanted to know under which section, the challans have been issued because electronic monitoring and enforcement to road safety under Section 136A is not in force with effect from 1.9.2019.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): आप सीधे प्रश्न पर आएं।

श्री बी.के. हरिप्रसाद: मैडम, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। As per S.O. 3110(E) dated 28.8.2019 by the Ministry of Road Transport and Highways notification, the answer given in para one is not correct. I just wanted to know under which section so many challans have been issued.

श्री नितिन जयराम गडकरी: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, new Act के implementation के बाद से एक्सिडेंट्स में कमी आई है। पिछले पांच महीनों में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर

[श्री नितिन जयराम गडकरी]

एक्सिडेंट्स कम हुए हैं। गुजरात में 14% एक्सिडेंट्स कम हुए हैं, उत्तर प्रदेश में 13% कम हुए हैं, मणिपुर में 4% कम हुए हैं, जम्मू-कश्मीर में 15% कम हुए हैं, आंध्र प्रदेश में 7% कम हुए हैं और चंडीगढ़ में 15% कम हुए हैं। केवल केरल में 4.9% यानी 5% और असम में 8% एक्सिडेंट्स बढ़े हैं। तमिलनाडु ने 24% एक्सिडेंट्स को कम किया है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि पहले जो चालान इश्यू होते थे, now citizens can show their documents in electronic form. हमने एम.परिवहन ऐसा ऐप बनाया है। आपका ड्राइविंग लाइसेन्स हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हो, फिटनेस सर्टिफिकेट हो, इस पर रजिस्टर्ड होता है। मोबाइल फोन पर आप डॉक्युमेन्ट्स नहीं रखते हो, इसके लिए मैक्सिमम चालान होते थे। अब मोबाइल फोन पर जाकर आप तुरन्त ये डॉक्युमेन्ट्स बता सकते हैं। एक करोड़ लोगों ने इसका फायदा लिया है और इसका वे उपयोग कर रहे हैं।

जहां तक एक ग़लतफ़हमी पैदा हुई है कि जो फाइन्स बढ़े हुए हैं, वे हमारे एक्ट के कारण बढ़े हैं, यह सच्चाई नहीं है। यह जो मोटर व्हिकल्स एक्ट है, यह कन्करेन्ट लिस्ट में है। कन्करेन्ट लिस्ट में राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। अभी कल ही दिल्ली स्टेट ने एक कानून निकाला है। उसमें बहुत से ऐसे अधिकार हैं, जो राज्य सरकार को हैं कि वह कम्पाउण्डेबल ऑफेन्सेज़ करके फाइन कर सकते हैं। परन्तु राज्य सरकार में लिमिट दी हुई है कि अगर कोई ऐसा ऑफेन्स होता है तो वे पांच सौ रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक फाइन कर सकते हैं। यह परमिशन हमारी पार्लियामेन्ट ने कानून पास करके राज्य सरकार को दी है। प्रॉब्लम यह है कि कुछ राज्य सरकारों ने, चूंकि यह 1980 का एक्ट था और इस कारण इसे हर साल बढ़ाने की मंजूरी लगती थी तो इसलिए हमने ब्लैन्केट करके इसको एक लिमिट में पांच सौ रुपये से पांच हजार रुपये ऐसा उदाहरण के लिए लिखा। प्रॉब्लम यह हुई कि कुछ राज्य सरकारों ने पांच हजार रुपये फाइन लगा दिया। पहली बात ऐसी है कि इसमें राज्य सरकार के अधिकार हैं, इसमें जो कम्पाउण्डेबल ऑफेन्सेज हुए हैं, वे उन्हें कम कर सकते हैं।

दूसरा उसमें ऐसा है कि इसमें हमने स्पेशल रूप से प्रोविजन किया हुआ है, इसमें सभी राज्य सरकारों ने बड़े शहरों में स्पीड कैमराज़, क्लोज़ सर्किट टेलिविज़न कैमराज़, स्पीड गन्स और अलग-अलग प्रकार के नये संशोधन उसमें किए हैं। ये इसलिए किए हैं कि यह बात मैंने स्वीकार की थी कि पहले जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जनता की हरैसमेन्ट होती थी, वह न होने के कारण अब यह पूरी तरह से जो हमारा नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसके ऊपर आधारित करने की कोशिश की जा रही है। आपको आश्चर्य होगा, मुम्बई में मेरे नाम से गाड़ी है और वह गाड़ी स्पीड से जा रही थी, इसलिए वर्ली-बान्द्रा सी लिंक पर फाइन लग गया और मेरे नाम पर भी फाइन भरने के लिए घर में टिकट आया था और वह मुझे भरना पड़ा। अब यह सिस्टम पूरी तरह से इतना एक्टिव है कि जो चीफ मिनिस्टर की गाड़ियां जाती हैं तो वे कभी-कभी रेड

सिग्नल क्रॉस करती हैं। वे साइरन बजाकर आती हैं, उन्हें अनुमति है, वे जाती हैं, लेकिन उनका भी चालान चला गया कि उन्होंने वॉयलेशन किया। यह जो सिस्टम है, इसमें इसीलिए सुधार किया गया कि करप्शन कम हो और इसमें धीरे-धीरे जो व्यक्ति काम करते थे, उसके बजाय इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर अगर सिस्टम जा रहा है तो इसका फायदा हुआ है।

दूसरा इस कानून में यह हुआ है कि डिजिटल लॉकर, जिसमें आपने एम.परिवहन में अपने पूरे डॉक्युमेन्ट्स रजिस्टर कर दिए और अगर पुलिस ने आपको रोका तो इस कानून में यह प्रोविज़न किया है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डाक्युमेन्ट्स दिखा सकता है। तुरन्त मोबाइल निकालना, ड्राइविंग लाइसेन्स से लेकर ऑल डॉक्युमेन्ट्स बताना, उन्हें साथ में रखने की जरूरत नहीं है, एक करोड़ लोगों ने ऐसा किया है।

मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अब इसमें सुधार हो रहा है। निश्चित रुप से फाइन के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जो कानून नहीं तोड़ेगा, जो वॉयलेशन नहीं करेगा, उस पर फाइन नहीं लगेगा। एक जगह पर अखबार में आया था, मैंने उसकी इनक्वायरी की कि ट्रक का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, ट्रक के ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेन्स नहीं था, ऊपर से दारू पी हुई थी, ट्रक ओवरलोडेड था, अब क्या हुआ कि सब ऑफेन्सेज़ लिस्ट होते-होते फाइनल रकम आई तो वह अख़बार में छपकर आया कि उस पर इतना ज्यादा फाइन हो गया। अब आप मुझे बताइये कि जब इस प्रकार की बातें हो रही हैं और इस देश में पांच लाख एक्सिडेन्ट्स होते हैं, डेढ़ लाख मौतें हो जाती हैं और 8 से 35 वर्ष के 65 परसेन्ट लोग मरते हैं। अलग-अलग जगहों पर मेरा भी एक्सिडेन्ट हुआ था, मैं बहुत संवेदनशील हूं। जब लोगों को कानून के प्रति डर नहीं है और सम्मान भी नहीं है, अगर ऐसी अवस्था होगी तो क्या लोगों की जान बचाने के लिए कानून का पालन नहीं करना चाहिए, इसके लिए क्या यह नहीं करना चाहिए?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): माननीय मंत्री जी, अनुरोध है कि आप अपना जवाब संक्षेप में दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा सवालों को लिया जा सके। आपका पहला पूरक प्रश्न ही पूरा नहीं हुआ है।

श्री नितिन जयराम गडकरी: ठीक है, मैं एक आखिरी वाक्य और बता देता हूं। अभी स्वीडन में रोड सेफ्टी के ऊपर वर्ल्ड कान्फ्रेन्स हुई और वर्ल्ड में सबसे हाइएस्ट एक्सिडेन्ट्स हिन्दुस्तान में होते हैं। उसमें यह डिसाइड किया गया कि आने वाले पांच सालों में हम पचास परसेन्ट मौतें और एक्सिडेन्ट्स कम करेंगे, जिसकी सिग्नेटरी भारत सरकार की तरफ से हैं। मुझे लगता है कि आप सब इसको कम करने के लिए सहयोग करिए।

श्री बी.के. हरिप्रसाद: आपका भाषण बहुत लम्बा रहा, लेकिन इसमें आन्सर नहीं रहा, कोई बात नहीं है।

श्री नितिन जयराम गडकरी: आपका सवाल लम्बा था।

श्री बी.के. हरिप्रसाद: मेरा सवाल बहुत छोटा सा था।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): आप कृपया सवाल करें।

श्री बी.के. हरिप्रसाद: जो सैक्शन अमेण्ड किया है, उसके तहत वह सैक्शन है ही नहीं। कौन से सेक्शन में आपने 1 करोड़, 80 लाख का चालान किया, उसका जवाब नहीं आया है, कोई बात नहीं। मोटर व्हीकल्स एक्ट में अमेंडमेंट के तहत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का ब्रेक फेल हो गया, इसलिए उसके कारण यह हो रहा है।

आपने जो electronic challans के तहत कहा, जो आपने second para में answer दिया है, Sub-Section 2 of Section 183 is a compoundable offence, as per Section 100. After the Amendment Act of 2019, the Sub-Section 2 of Section 183 was deleted. आपके amendment में भी कुछ sections delete हुए थे, जो obsolete हो गए थे, उनमें भी आपने amendment कर दिया। उसका जवाब पहले भी नहीं आया, अभी भी नहीं आयेगा। अगर आप SUVs पर, बड़ी-बड़ी गाड़ियों पर फाइन करते हैं, तो इसमें मेरा कोई एतराज़ नहीं है। मगर आप यह बताइए कि जो गरीब लोग हैं, जो two-wheeler, three-wheeler चलाते हैं और मुश्किल से रोज कुछ कमाते हैं, उनको आपकी पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग पकड़ कर चालान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सरकार को दिखाना है कि हमने इतना चालान किया है। इसके कारण काफी गरीब लोगों को, जो two-wheeler, three wheeler चलाते हैं और टैक्सी चलाते हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। बड़ी-बड़ी SUV वाले चार-पाँच लोगों को कुचल देते हैं, लोग मर जाते हैं। ...**(व्यवधान)**... उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए उसका जवाब चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Madam, Section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988, after the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019, as recently passed by the Parliament reads, "200 composition of certain offences —(1) any offence whether committed before or after the commencement of this Act punishable under Section 177, Section 178, Section 179, Section 180, Section 181, Section 183, Sub-Section (1) or Sub-Section (3) or Sub- Section (4) or Section 182(A), Section 182(B), Sub- Section (1) or Sub- Section (2) of Section 183, Section 184 only to the extent of use of handled communication devices -- वह communication devices के बारे में है -- Section 186, Section 189, Sub- Section (2) of Section 190, Section 192, Section 192(A), Section 194, Section 194(A), Section 194(B), Section 194(C), Section 194(D), Section 194(E), Section 194(F) ...*(Interruptions)*... आप पूछ रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): मंत्री जी, अगर इतना विस्तृत और इतना लम्बा जवाब है, तो आप इनको लिखित रूप में जवाब भेज दें, ताकि दूसरों को ...**(व्यवधान)**... लिखित रूप में भेज दें।

श्री नितिन जयराम गडकरी: मैडम, हमने कोई सेक्शन किसी प्रकार से समाप्त नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार को compoundable offences में अधिकार है। अगर चाहे, तो वह फाइन भी नहीं लगा सकती है। मैं अनुमति देने के लिए तैयार हूँ। दूसरा, जो पैसे का फाइन लगता है, वह अधिकार भी उनके पास है। केवल विशिष्ट प्रकार के ऐसे कोई offences हैं, जिनमें वह compoundable नहीं है। सारे compoundable offences इसमें आते हैं ।

दूसरी बात, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। गरीब हो या धनवान हो, हमारे संविधान ने यह बताया है कि सेक्स कोई भी हो, जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, कानून के सामने सब लोग समान हैं। तो ऐसा प्रोविजन तो नहीं हो सकता कि गरीब ने violation किया तो माफ कर दो और धनवान ने किया तो फाइन करो। ऐसा discrimination करने का अधिकार भी नहीं है। सवाल यह है, जिसके लिए आपको चिन्ता करनी चाहिए और सबको चिन्ता करनी चाहिए कि इतने लोग मर रहे हैं, लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, एक-एक स्कूटर पर चार-चार लोग बैठते हैं और एक पीछे में नम्बर प्लेट पर हाथ रख कर जाता है, without light जाते हैं, without licence जाते हैं, दारू पीकर वाहन चलाते हैं, लोग मर रहे हैं, 18 से 35 साल के लोग, क्या उनको सजा नहीं होनी चाहिए? जो violation नहीं करेगा, उसको तो कोई सजा नहीं होगी और न ही फाइन भरना पड़ेगा। ये जो lightly लेते थे, lightly लेने वाले लोग, चाहे वे धनवान हों, गरीब हों, हिन्दू हों, मुसलमान हों, किसी भी सेक्स के हों, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस भाव को ऐसा discriminate क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ।

सुश्री सरोज पाण्डेय: महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार के नियमों के तहत पूरे देश में व्यवस्था को लागू किया है, उसके कारण दुर्घटनाओं में कमी आयी है। दुर्घटनाओं में यह कमी निश्चित तौर पर किसी परिवार के चिराग को जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी रही है। मैं माननीय मंत्री जी को साधुवाद देते हुए केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कभी कोई सरकार अगर योजना लागू करती है, तो उस योजना को लागू करने के लिए व्यापक तौर पर प्रचार-प्रसार होना चाहिए, लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए और अगर जानकारी नहीं है, तो जानकारी के अभाव में उस योजना का या हमने जो नियम लागू किया है, उस नियम का निश्चित तौर पर पालन नहीं हो पाता है। कई बार जानकारी के अभाव में विषय नहीं बन पाते हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूँ कि यातायात के बदले हुए नियमों के प्रति जागरूकता के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा रहे हैं?

श्री नितिन जयराम गडकरी: मैडम, मैं सबसे पहले सदन को धन्यवाद दूँगा कि सदन के माध्यम से यह बिल पास करने के बाद और इसके एक्ट बनने के बाद लोगों की मृत्यु में दस परसेंट की कमी आयी है यानी दोनों सदनों ने यह कानून पास करके दस हजार लोगों की जान बचाई है। यह पाँच महीने का ही रिकॉर्ड है और मैं यह मानता हूँ कि इसमें धीरे-धीरे और सुधार आएगा। इस मद में तमिलनाडु ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है और उसने 24 परसेंट मृत्यु को रोका है। इस संबंध अभी और अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं।

मैडम, यह चार भागों में डिवाइड है - रोड इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और इम्प्लिमेंटेशन। हम लोग एजुकेशन के लिए अलग-अलग रीजनल भाषा में rules of the road के बारे में लोगों को, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए advertisement campaign कर रहे हैं। आपको पता होगा कि इस संबंध में हमारा अक्षय कुमार जी का campaign काफी पॉपुलर हुआ। ऐसे campaign भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने अभी एक हजार ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का निर्णय किया है। अभी तक 22 स्कूल्स खोले गए हैं। हम बड़े पैमाने पर उसकी भी शुरुआत कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि हम लोग रोड सेफ्टी का महोत्सव भी मनाते हैं। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत मदद मिलनी चाहिए, इसके लिए हाइवे पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के कार्य का भी शुभारंभ हुआ है ताकि किसी की जान न जाए। हम तुरंत उसकी जान बचा सकें। इनमें सबसे इम्पॉर्टमेंट चीज रोड इंजीनियरिंग है और रोड इंजीनियरिंग के कारण ही एक्सीडेंट्स होते थे। अभी हमने ब्लैक स्पॉट्स identify किए। मुझे यह कहते हुए संकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रशासन में यह कमी है। मैडम, पहले केवल 1,500 ब्लैक स्पॉट्स identify हुए, अब 3,000 हुए और यह संख्या बढ़ी है। इनमें से maximum NHAI पर हैं। अभी इन पर 12 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए। हमने वर्ल्ड बैंक और एडीबी के सहयोग से 14 हजार करोड़ रुपए की एक योजना बनाई है। जिसमें सात हजार करोड़ रुपए दोनों बैंक्स दे रहे हैं, सात हजार करोड़ रुपए भारत सरकार डाल रही है और राज्य सरकार राष्ट्रीय महामार्ग, डिस्ट्रिक्ट हाइवे, सिटी रोड्स, इन सबके ऊपर के ब्लैक स्पॉट्स को हम सुधार रहे हैं। एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी और रोड इंजीनियरिंग, इन चारों बातों पर काफी सुधार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस साल के आखिर में शायद हमें इसमें अच्छी तरह से सफलता हासिल होगी, क्योंकि अभी जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं, उससे हम काफी लोगों की जान बचाने में सफल होंगे, ऐसा मुझे लगता है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: मैडम, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रति जो चिंता है, वह बहुत बढ़िया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि स्टेट हाइवेज़ की अपग्रेडिंग करके एनएच बनाया गया है, उनमें एक एनएच 730 है, उस पर डेढ़ साल से काम चल रहा है। उसमें पीलीभीत से काम

हो गया और बीच में खुडार से बहराइच तक 80 किलोमीटर तक गहरे-गहरे गड्ढे बन चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट उसमें हाथ नहीं लगा रही है। जब हम अधिकारियों से बात करते हैं, तो वे कहते हैं कि हमने ठेकेदार को बोल दिया है। इसके कारण कई मौतें हो चुकी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करता हूँ कि जो एनएच 730 है, उस पर पिछले छः महीने में जितनी मौतें हुई हैं, उनकी गिनती करा लीजिए और इसके लिए किसको जिम्मेदार बनाएँगे, यह भी तय कर दीजिए। इससे लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इसको जल्दी पूरा कराएँगे।

श्री नितिन जयराम गडकरी: मैडम, आज तो रोड से संबंधित कोई प्रश्न ही नहीं है, इसलिए इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शायद perfect जानकारी नहीं दे पाऊँगा।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): आप माननीय सदस्य को जानकारी उपलब्ध करा दीजिएगा।

श्री नितिन जयराम गडकरी: मैडम, उसका जो contractor है, वह एनसीएलटी में चला गया। उसका contract terminate किया गया है। इसके लिए नया टेंडर निकाला गया है। मेनका गाँधी मुझे बार-बार उसके बारे में बताती हैं और मुझे लगता है कि वह काम शायद, मेरी जानकारी में, शुरू हो गया। अगर नहीं हुआ, तो तुरंत शुरू करवा कर आपको सूचित कर दूँगा।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: डेढ़ साल से ऊपर हो चुका है, बहुत सी मौतें हो चुकी हैं, बहुत गहरे-गहरे गड्ढे बन गए हैं।

श्री नितिन जयराम गडकरी: मैं डिटेल में जाकर इसकी जानकारी दूँगा।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: मैं इस संबंध में आपको लिख कर दूँगा।

श्री नितिन जयराम गडकरी: ठीक है।

SHRI P. WILSON: My question to the hon. Minister is: Will he tell this House when all toll plazas across the country could be abolished? Why doesn't the Government explore the option of collecting one-time fee while registering the vehicles? Meanwhile, when the toll plazas are going to be manned by concessionaire, why don't they employ the locals, as they know the language, to help the road users? Hon. Minister, Sir, so far as the rules are concerned, new rules are concerned, the compensation amount after the death of the person who is involved in the motor accident is deposited in annuity scheme. Why not some scheme be made by the Central Government by framing rules so that the legal heirs of the victim immediately get the compensation instead of putting it in annuity scheme?

श्री नितिन जयराम गडकरी: सम्माननीय मैडम, इन्होंने जो दूसरी बात कही, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक्सीडेंट का sufferer है, उसको तुरंत पैसे देने का प्रोविजन किया गया है, पर यह बात सच है कि इसका implementation ठीक से नहीं हो रहा है। इसके रूल्स जल्दी ही फ्रेम हो रहे हैं और निश्चित रूप से इसका implementation होगा।

इन्होंने टौल के बारे में जो बात की, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने जो "फास्ट टैग" शुरू किया है, 73 परसेंट ट्रांजेक्शन फास्ट टैग में आए हैं। अब कहीं टौल नाके पर खड़ा होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और हमारी कोशिश है कि आने वाले एक महीने के अंदर हम 98 परसेंट तक जाएंगे, जिससे seamless traffic होगा। किसी को टौल नाके पर रुकने की आवश्यकता नहीं है, यह फास्ट टैग पर ही चलेगा। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सबका टेंडर निकलता है और टेंडर में हमें यह पता नहीं चलता वह कौन-सी भाषा बोलने वाला है या कौन-सी जाति-धर्म का है? मैं सदन को बताऊँगा कि पिछले पाँच साल में 17 लाख करोड़ के काम दिए गए। यहाँ सुब्बारामी रेड्डी जैसे कॉंट्रेक्टर भी हैं, जिनको अनुभव है। एक भी काम में, एक भी कॉट्रेक्टर से कभी एक पैसा भी नहीं लिया गया और न ही कॉंट्रेक्टर को कभी मेरे पास आना पड़ा। Full transparency के साथ, करप्शन फ्री काम हुआ। यह मैं आपके सामने बहुत हिम्मत के साथ कह सकता हूँ। जो भी lowest आता है, जिसकी अच्छी ऑफर आती है, उसको टेंडर मिलता है। यह मेरे हाथ में नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): प्रश्न संख्या 228.

Closure of industrial units in SME sector

*228. SHRI P. L. PUNIA: Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during the last five years many industrial units in the country, which are in Small and Medium Enterprises (SMEs) sector have closed down;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the details of the actual estimate and the number of units in this sector which have become sick so far due to economic recession and the amount proposed to be provided by banks and other institutions to this sector to get rid of this sickness?

THE MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI NITIN JAIRAM GADKARI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.